रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 1984/आश्विन 9, 1906
No. 142] NEW DELHI, MONDAY, OCT. 1, 1984/ASVINA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1984

सार्वजनिक सूचना सं. 57-आईटीसी (पीएन)/84

विषय :—स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति योजना—आयात-निर्यात नीति 1984-85 के परिशिष्ट-22 का अनुबन्ध-3

मिसिल सं. 12/37/84-ई.पी.सी.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 50-आईटीसी (पीएन)/84, दिनांक 31 अगस्त, 1984 की ओर ध्यान दिलाया जाता है । जिसमें यह अधिसूचित किया गया है कि 1 सितम्बर, 1984 से उक्त योजना के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोना बेचने की कीमत 1334/- रु. शुद्ध सोने का प्रति 10 ग्राम (0.999 शुद्धता) उस पर लागू होने वाले किसी भी स्थानीय कर को छोड़कर होगी ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 1 अक्तूबर, 1984 से आगामी आदेश जारी होने तक रिहाई आदेश के धारकों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जिस कीमत पर सोना बेचा जाएगा वह कीमत शुद्ध सोने के प्रति 10 ग्राम (0.999 शुद्धता) (उस पर लागू होने वाले किसी भी स्थानीय कर को छोड़कर) 1343.00 रु. (एक हजार तीन सौ तैंतालीस रुपये) होगी ।

वी. सी. पाण्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st October, 1984

PUBLIC NOTICE NO. 57-ITC(PN)/84

Subject : Gold Jewellery Export Promotion and Replenishment Scheme—Annexure III to Appendix 22 of the Import Export Policy, 1984-85(Vol.I).

File No. 12/37/84-EPC.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 50-ITC(PN)/84 dated the 31st August, 1984 notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India with effect from 1st September, 1984 would be Rs. 1334 per 10 gms. of pure gold (0.999 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it has been decided that the price at which gold will be sold to the Release Order holders under the said Scheme by State Bank of India with effect from 1st October, 1984 until further orders would be Rs. 1343 (Rupees one thousand three hundred and forty three) only per 10 gms. of pure gold (0.999 fineness), (exclusive of any local taxes applicable thereto).

V.C. PANDE, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984